भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4101

दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरीकी टैरिफ का प्रभाव

4101. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में भारतीय निर्यात पर उठाए गए शुल्क संबंधी कदमों से कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, रसायन, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है या करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो जैसे निर्यात-उन्मुख समूहों में सेक्टर-वार और क्षेत्रवार रोजगार में व्यवधान, अस्थायी छंटनी या काम के घंटों में कमी के संभावित अनुमान सहित उक्त आकलन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन शुल्कों के मामले में उठाए गए कदमों से उत्पन्न निर्यात अस्थिरता से प्रभावित श्रमिकों की सहायता के लिए 'स्किल इंडिया' के तहत किसी लक्षित पुनर्कौशल, कौशल उन्नयन या कार्यबल पुनर्नियोजन पहल की योजना बनाई जा रही है या उसे लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों में निर्यात में निरंतर गिरावट की स्थिति में रोजगार संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने और श्रम बाजार समायोजन की सुविधा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ किए गए समन्वय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं (ख) (i) भारत सरकार, निर्यातकों और उद्योग जगत सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) के टैरिफ उपायों के भारतीय निर्यातों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। इस कार्यनीति में भारत-यू.एस. के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन संपर्क, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन मिशन जैसे नए निर्यात प्रोत्साहन उपाय जो

हमारे निर्यातकों को सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है। यह उम्मीद की जाती है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और मजबूती भी बढ़ेगी।

(ii) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिनांक 2 फरवरी 2026 को एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया। दिनांक 7 फरवरी 2026 को, भारत द्वारा रूसी तेल के आयात का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा भारत के कुछ निर्यातों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क हटा दिए गए। अंतरिम समझौते के संपन्न होने के अध्यधीन, अमेरिका भारतीय वस्तुओं को अधिमान्य बाज़ार पहुँच प्रदान करेगा, जिनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद, कुछ मशीनरी आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अमेरिका रत्न और हीरे, विमान के पुर्जे, सामान्य दवाएँ, कुछ मशीनरी और पुर्जे, वनस्पति रस, कुछ उपकरण और यंत्र, कुछ प्लास्टिक और रबर, कुछ ऑटो पुर्जे आदि जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 0% कर देगा। यह समझौता संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए, अधिमान्य बाज़ार पहुँच प्रदान करके समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, चमड़े और हस्तशिल्प में लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देगा। डेयरी उत्पादन और कृषि जैसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है।

(iii) दिनांक 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस्परिक टैरिफ को अमान्य घोषित करने वाले फैसले के अनुसार, पारस्परिक टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने सभी देशों से कुछ उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। सरकार सभी घटनाक्रमों का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।

(ग) और (घ) यह समझौता संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए अधिमान्य बाजार पहुंच में सुधार करके समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, चमड़े और हस्तशिल्प में भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा। यह समझौता किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगा। इसके अलावा, भारत का स्किल इंडिया मिशन (SIM) कौशल विकास, पुनः कौशल प्रशिक्षण और उन्नत कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित पहलों के माध्यम से कार्यबल को उद्योग से संबंधित आवश्यक कौशल से परिसज्जित कर रहा है। अंतरिम व्यापार समझौते के संबंध में अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित वेब लिंक पर भी उपलब्ध है:
https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf
